

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,


शाहपुरा (भीलवाड़ा)

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत् -।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री लादी पति एस्ती जाति बैरवा निवासी बोरसा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम बोरसा पटवार मण्डल बोरसा के खाता संख्या 232 में चमार दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

2022/332



प्रार्थी

लादी / एस्ती बैरवा

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री लादी पति एस्ती की ग्राम बोरसा प.0म0 बोरसा के खाता संख्या 232 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

पटवारी
23-8-2022
प.0म0 बोरसा

भू.अ.नि.0
92-8-2022
वृत्त बोरसा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री लादी पति एस्ती की ग्राम बोरसा प.0म0 बोरसा के खाता संख्या 232 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की सिफारिश की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार (भू.अ.नि.)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

26/8/22
24/6/22

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिपंशा के प्रार्थी श्री लादी पति एस्ती की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम बोरसा प.0म0 बोरसा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 232 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश दिया जाता है। अतः तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
प्रमोदी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)